बिहार विधान सभा में श्री अशोक कुमार सिंह, (क्षेत्र सं0–132) मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–54 का उत्तर

प्रश्न			उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–			माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत वारिसनगर प्रखण्ड में मोहिउद्दीनपुर कैला चौक के पास पशु चिकित्सालय दस वर्ष पूर्व से कार्यरत है;	1.	खण्ड–1 –उत्तर अस्वीकारात्मक है। पशु चिकित्सालय कार्यरत नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि इस पशु अस्पताल के लिए स्थानीय लोगों द्वारा पन्द्रह कट्ठा जमीन दान में दी गयी थी, जिसपर स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है;	2.	खण्ड–2– उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पशु चिकित्सालय हेतु भूमि दान संबंधी कोई भी साक्ष्य अनुपलब्ध है, अपितु रिविजनल सर्वे खतियान के अनुसार खाता नं0 848 खेसरा नं0 1401 रकवा 16 डी0 खेसरा नं0 1402 रकवा 6 डी0 एवं खेसरा नं0 1519 रकवा 16 डी0 कुल 38 डी0 जमीन बिहार सरकार के नाम दर्ज है जिसके कैफियत कॉलम में गवेशी अस्पताल दर्ज है। उक्त भूमि में से मो0 साबीर का खेसरा नं0 1401 एवं 1402 के मात्र 1 डी0 भूमि पर मकान बना हुआ है। इस प्रकार 1 डी0 भूमि अतिक्रमित है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है। अतिक्रमण का मामला संज्ञान में आने पर अंचल अधिकारी द्वारा अतिक्रमण वाद संख्या 45/2019–20 प्रारंभ कर कार्रवाई की जा रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार पशु चिकित्सालय के जमीन पर से अवैध कब्जा कबतक हटाना चाहती है, नहीं तो क्यों ?		खण्ड–3 का उत्तर– अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अंचल अधिकारी वारिसनगर द्वारा बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

बिहार विधान सभा में श्री प्रकाश वीर (क्षेत्र सं0–235), मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–53 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के ग्राम पंचायत तिरहुता में खाता नं0–336, पुराना खेसरा नं0–2896, नया खेसरा नं0–6596 जिसका रकबा 18 डिसमिल है, पर ऑगनबाड़ी केन्द्र सं0–03 चल रहा है, जिसके चारों तरफ कुछ स्थानीय लोगों द्वारा अवैध रूप से घर बना लिया गया है, जिससे ऑगनबाड़ी केन्द्र चलाने में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त 18 डिसमिल जमीन को कबतक अवैध कब्जा से मुक्त कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?		उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रश्नगत खेसरा की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अतिक्रमण वाद सं0–15/17–18 संचालित किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है। उक्त अतिक्रमित भूमि को 30 दिनों के अन्दर अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा।

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–203, स0वि0स0 द्वारा बिहार विधान सभा के 194 वें सत्र में पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या रा–52 का उत्तर

प्रश्नकर्ता :– श्री अशोक कुमार सिंह, क्षेत्र सं0–203, माननीय स0वि0स0	उत्तरदाता :– श्री राम नारायण मंडल, माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
क्या यह सही है कि कैमूर जिला के रामगढ़ प्रखण्ड के बरौरा पंचायत के पडाडनपुर मौजा का चकबंदी कार्य विगत तीन वर्षो से लम्बित है, जिससे उक्त मौजा में आम लोग सड़क जैसी बुनियादी सुविधा के लाभ से वंचित हैं, यदी हाँ तो सरकार पडाडनपुर मौजा के चकबंदी कार्य कब तक पूरा करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर :– आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि मौजा पडाडनपुर, थाना नं0 231, अंचल रामगढ़, जिला कैमूर को बिहार जोतों एवं समेकन खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 के तहत जून 2016 में चकबंदी कार्य प्रारंभ किया गया। विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत कार्य पूर्ण करते हुए दिसम्बर 2018 में उप निदेशक, चकबंदी रोहतास, सासाराम के स्तर से मौजे को सम्पुष्ट की गई। इसी बीच चक सम्पुष्टि के विरूद्ध रैयतों द्वारा फरवरी 2019 में निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद दायर किया गया। पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में पुनर्चक (RECHAK) काट कर वर्ष 2019 में ही उप निदेशक, चकबंदी रोहतास, सासाराम के समक्ष सम्पुष्टि हेतु भेजा गया है। चक योजना में आम रैयतों की सुविधा को देखते हुए सड़क, खेल का मैदान इत्यादि जन उपयोगी व्यवस्था की गई है। सम्प्रति मौजे में चक सम्पुष्टि पर उप निदेशक, चकबंदी रोहतास के समक्ष दायर अपील वाद में सुनवाई चल रही है। चकबंदी अधिनियम के तहत विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के पश्चात यथाशीघ्र चकबंदी कार्य पूर्ण कर ली जायेगी।

बिहार विधान सभा में श्री शकील अहमद खाँ, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–48 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिलान्तर्गत डण्डखोरा प्रखण्ड कार्यालय के भवन का निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार को छः माह पूर्व 5 करोड़ 4 लाख रूपया ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, लेकिन आज तक उक्त भवन के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिस कारण भवन निर्माण की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यदि हाँ तो सरकार प्रखण्ड कार्यालय भवन के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?		उत्तर स्वीकारात्मक है। बिहार रैयती भूमि लीज नीति 2014 के तहत गठित स्थल चयन समिति द्वारा उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए प्रतिवेदित किया जा चुका है। उक्त नीति के तहत चिन्हित भूमि के भू–स्वामियों से समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भूमि लीज पर देने की सहमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

बिहार विधान सभा के अगामी अधिवेशन में दिनांक–05.03.2020 के लिए श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी, सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–रा0–40 :–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत जल–जीवन–हरियाली योजनान्तर्गत बक्सर जिले में तालाब, आहर के तटबंध पर भूमि पर निवासित लोगों को जल–जीवन–हरियाली योजना के प्रारम्भ होने के बाद से विस्थापित किया जा रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त गरीब परिवारों को अन्यत्र आवासन भूमि उपलब्ध कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, बक्सर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सार्वजनिक जल निकायों को अतिक्रमण किये जाने के क्रम में वैसे प्रभावित सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि रहित परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर "अभियान बसेरा" कार्यक्रम के अन्तर्गत वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। अगर इस माध्यम से सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को वासभूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तो वैसी स्थिति में बिहार गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि से सम्बन्धित क्रय नीति, 2011 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में रैयती भूमि/भू–खण्ड क्रय कर वास हेतु उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से ₹73,00,000/– (तिहत्तर लाख) रूपये का आवंटन बक्सर जिला को प्राप्त है।

श्री सुदामा प्रसाद, माननीय स0 वि0 स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–41

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संख्या–रा–41, क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण के मैनाटांड़ थाना के सिहंपुर गाँव में पुलिस ने पिछले साल 16 नवम्बर को नरकटियागंज के डी0एस0 पी0 के नेतृत्व में गरीब किसानों के सिलिंग जमीन पर लगाई गई 5 एकड़ धान की फसल कटवा लिया गया तथा इसी साल इन किसानों की गेहूँ की फसल भी नष्ट कर दी गयी है, जबकि उक्त 41 एकड़ जमीन पर 30 वर्षो से गॉव के गरीब किसान खेती कर रहे हैं, यदि हॉ तो इसका क्या औचित्य है ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण बेतिया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0 डब्लू0 जे0 सी0 वाद संख्या –426/2015 जवाहीर साह गोड़ एवं अन्य वनाम बिहार सरकार में पारित आदेश के आलोक में भूधारियों को उनके भूमि पर जोत अबाद करने हेतु पुलिस एवं प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार के फसल को नष्ट नहीं किया गया है।

D:\data d\2020\sec-7\subhash ji\question\bidhan sabha sudama 03-03-2020.docx

श्री रामदेव राय, स0वि0स0 द्वारा विधान सभा के चलते अधिवेशन में दिनांक 05.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा–31 का उत्तर सामग्रीः–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें किः–	
1	क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2011 के आलोक में विभिन्न बंदोबस्त कार्यालयों में उजरतभोगी अमीन को नियुक्त कर भू–अभिलेख अद्यतन का कार्य कराया गया है।	उत्तर अस्वीकारात्मक है। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 अंतर्गत उजरतभोगी अमीनों से उजरत दर पर भुगतान के आधार पर पूर्व में भू–सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। चुकि वर्त्तमान सर्वेक्षण कार्य आधुनिक तकनीक के आधार पर कराया जा रहा है, अतः उजरत अमीनों के द्वारा किए जा रहे कार्य में कतिपय कठिनाईयों को देखते हुए बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 अंतर्गत तकनीकी रूप से सक्षम कर्मियों के नियोजन का निर्णय लिया गया है तथा उक्त के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
2 (क)	क्या यह बात सही है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2019 के आलोक में अमीन एवं विशेष सर्वेक्षण अमीनों को क्रमशः 550 एवं 4950 सर्वे निदेशालय द्वारा संविदा पर नियोजन किया जा रहा है, जबकि जिला उपसंवर्ग में अंचल अमीन, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं भू–अर्जन निदेशालय के लिए 1767 अमीन का वेतनमान में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है;	प्रथम अंश स्वीकारात्मक है। भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 अंतर्गत तकनीकी रूप से सक्षम संविदा अमीन के 550 पद, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950 पद, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 550 पद, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 550 पद एवं विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के 275 पद पर नियोजन की कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वेतनमान एवं संविदा पर नियुक्त होने वाले अमीनों की नियुक्ति में उजरतभोगी अमीनों को प्राथमिकता देना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम, 2011 एवं नियमावली, 2019 के आलोक में मानदेय आधारित संविदा नियोजन के तहत इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

माननीय सदस्य सैयद अबु दौजाना, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–23 के संबंध में।

	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
	प्रश्न		उत्तर
(1)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड में कुल 15 पंचायत एवं 3 नगर पंचायत पड़ता है;	(1)	खण्ड–'1'–उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में मात्र एक ही सरकारी अमीन कार्यरत है जो तीन अंचलों के प्रभार में सुरसंड, पुपरी एवं बोखरा अंचल भी है, जिससे कार्य दबाव के कारण आम जनता एवं सरकार के कार्यों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	(2)	खण्ड–'2'–उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार सुरसंड एवं पुपरी अंचल में एक अमीन तथा बोखरा अचंल में एक अमीन पदस्थापित है। उक्त अंचलों में पदस्थापित अमीन द्वारा बिना किसी बाधा के आम जनता से संबंधित एवं सरकारी कार्यों को निष्पादित किया जा रहा है।
(3)	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकरात्मक है तो सरकार उक्त अंचलों में खाली पड़े पदों पर सरकारी अमीन की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	(3)	खण्ड–'3' उत्तर राज्य के सभी जिलों में अमीन के कुल स्वीकृत पद–1881 के विरूद्ध पद रिक्त रहने के कारण अमीन के कुल–1767 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–420 (4) दिनांक–14.11.2019 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गयी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा कुल–1767 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई प्राक्रियाधीन है। मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई कर ली जायेगी।

षोडश बिहार विधान सभा के लिए माननीय श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, सदस्य द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–42:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नगर परिषद् स्थित खाकी बाबा मठ, उदासीन मठ, पंचायती अखाड़ा के जमीन को असामाजिक तत्वों द्वारा अंचलाधिकारी, हिलसा एवं डी0सी0एल0आर0 हिलसा की मिली–भगत से फर्जी तरीके से जमीन का रजिस्ट्री कराकर खरीद बिक्री की जा रही है, यदि हाँ तो सरकार उक्त जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाते हुए दोषी पदाधिकारी पर कबतक कौन–सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों?	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, नालंदा से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार खाकी बाबा मठ, उदासीन मठ पंचायती अखाड़ा के जमीन को पूर्व के वर्षो में तत्कालीन महंथ के चेलों के द्वारा बिक्री की गई है। वर्त्तमान में बिक्री की कोई सूचना नहीं है। पूरे मामले की जाँचोपरान्त विस्तृत प्रतिवेदन/उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने हेतु समाहर्त्ता, नालंदा को विभागीय पत्रांक–202(8) दिनांक–04.03.2020 प्रेषित किया गया है।

माननीय सदस्य श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ,स0वि0स0 द्वारा दिनांक –05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–55 के संबंध में।

	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
	प्रश्न		उत्तर
(1)	क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के मीनपुर प्रखण्ड के अंचल में 11 की जगह 4 हल्का कर्मचारी ही कार्यरत हैं,	(1)	खण्ड–'1'–उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर अंचल में राजस्व कर्मचारी के कुल स्वीकृत बल–12 के विरूद्ध वर्त्तमान में 07 राजस्व कर्मचारी पदस्थापित है, परन्तु इन में से 02 राजस्व कर्मचारी निलम्बित है तथा 01 राजस्व कर्मचारी बन्दरा अंचल में प्रतिनियुक्त है।
(2)	क्या यह बात सही है कि जिसके कारण आमजनों के राजस्व की वसूली, दाखिल खारिज, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र आदि मुख्य कार्यों के सम्पादन में काफी विलम्ब होता है,	(2)	खण्ड–'2'– उत्तर अस्वीकारात्मक है। अपर समाहर्त्ता, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदनानुसार मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मीनापुर अंचल में वर्त्तमान में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी के द्वारा राजस्व की वसूली, दाखिल–खारिज एवं सभी प्रमाण–पत्र ससमय निर्गत करने का कार्य किया जा रहा है।
(3)	यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त प्रखण्ड में हल्का कर्मचारी के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है, नही तो क्यों ?	(3)	खण्ड–'3'–उत्तर राजस्व कर्मचारी के कुल–4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माह–दिसम्बर, 2018 में उक्त प्रयोजनार्थ प्रारंभिक स्तर की परीक्षा ली गयी, जिसका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा अयोजन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जायेगी।

श्रीमती गायत्री देवी, माननीया स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं–रा0–21 की उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती गायत्री देवी, माननीया स0वि0स0.	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिला के सोनवर्षा प्रखण्डान्तर्गत झीम नदी के दोनों तरफ तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन भू–अर्जन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है;	खण्ड–'01'–उत्तर :– स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि तटबंध के निर्माण में पड़नेवाली जमीन का भू–अर्जन का कार्य विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर के द्वारा कराया जा रहा था, जिसे विघटित कर दिया गया है और अब भू–अर्जन का कार्य जिला भू अर्जन कार्यालय, सीतामढी के द्वारा कराये जाने का निर्णय विभाग ने लिया है, लेकिन राशि आवंटित नहीं किया गया है ;	खण्ड–'02'–उत्तर :– वस्तु स्थिति यह है। समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के पत्रांक–137 दिनांक–27.02.2020 के प्रतिवेदनानुसारः– विशेष भू–अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर से जिला भू–अर्जन कार्यालय, सीतामढी को कुल–25 मौजा का अभिलेख प्रारूप कराया गया, जिसमें से 22 मौजा में अधिकांश भू–धारियों को मुआवजा भुगतान करते हुए अधिपत्य उनके द्वारा अधियाची विभाग को सौंपा जा चुका है। शेष 3 मौजा यथा–घुरघुरा, हनुमानगर/बंदरझुला एवं सिंहवाहिनी में भू–धारियों को मुआवजा भुगतान करने हेतु राशि अप्राप्त है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झीम नदी पर बांध के लिए भू–अर्जन में आनेवाले जमीन के लिए भू–अर्जन कार्यालय, सीतामढी को राशि आवंटित करने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड–'03'–उत्तर :– अधियाची विभाग से मुआवजा की राशि प्राप्त होते ही भू–धारियों को मुआवजा भुगतान किया जाएगा।

षोडश बिहार विधान सभा के लिए माननीय श्रीमती गुलजार देवी, सदस्य द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–26:–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुर प्रखंड स्थित बकुआ गाँव में अर्जित भूमि को भूमिहीनों के बीच परवाना अभिलेख संख्या–01–94/95 के तहत सुरेश पासवान, पिता यदु पासवान, ग्राम–बकुआ एवं अन्य 70 भूमिहीनों के बीच परवाना वितरण किया गया है, जबकि उक्त भूमिहीन किसानों को जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया है, यदि हाँ तो सरकार कबतक परवानाधारी किसानों को जमीन पर कब्जा दिलाना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम–बकुआ के 70 परिवारों के बीच अर्जित भूमि का परवाना वर्ष 1994–95 में दिया गया है। आवंटित भूमि पर उक्त परिवारों को कब्जा नहीं दिलाया जा सका है। संबंधित सभी परिवारों को भूमि कब्जा दिलाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। तथापि, आवंटित भूमि पर दखल–कब्जा लंबित रहने के कारणों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन की माँग समाहर्त्ता, मधुबनी से विभागीय पत्रांक–221(17) दिनांक–04.03.2020 द्वारा की गई है।

○

बिहार विधान सभा के अगामी अधिवेशन में दिनांक–05.03.2020 के लिए श्री राघव शरण पाण्डेय, सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–रा0–46 :–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भूमिहीन दलित परिवारों को आवास के लिए भूमि प्रदान करने का प्रावधान है ?	खण्ड (1)–उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2) क्या यह बात सही है कि पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा–1 प्रखंड के महीपुर भतौड़ा पंचायत के खाड़पोखरा के मुशहरटोली में 70 दलित परिवारों में 50 को गृह निर्माण के लिए पर्चा नहीं मिला है ?	खण्ड (2)–उत्तर स्वीकारात्मक है।
(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार इन परिवारों को जमीन दिलाने का विचार रखती है, हाँ जो कब तक, नहीं तो क्यों ?	खण्ड (3)–उत्तर–समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सुयोग्य श्रेणी के वासविहीन उक्त परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु भूमि का चयन किया जा रहा है। एक माह के अन्दर उक्त परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा–47 का उत्तर :–

क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रश्न	उत्तर
क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत अलीगंज अंचल में स्थायी अंचलाधिकारी विगत 2 वर्षों से प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण जमीन दाखिल खारिज सहित मोटेशन का कार्य काफी धीरे से चल रहा है, यदि हाँ तो सरकार उक्त अंचल में स्थायी अंचलाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	उत्तर स्वीकारात्मक है। अंचल अधिकारी का पद रिक्त रहने के कारण समाहर्त्ता द्वारा स्थानीय व्यवस्था के तहत् किसी अन्य पदाधिकारी को अंचल अधिकारी का प्रभार दिया जाता है। वर्त्तमान में अंचल अधिकारी, बरहट को अंचल अधिकारी, अलीगंज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विभाग के स्तर से उक्त अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन करने पर विचार किया जायेगा।

श्री मनोहर प्रसाद, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं–रा०–17 की उत्तर सामग्री।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मनोहर प्रसाद, माननीय स०वि०स०	श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड के नया टोला बहादुरपुर में महानन्दा नदी के कटाव से विस्थापितों के लिए वर्ष 1975–76 में अर्जित मौजा बहादुरपुर, थाना नं0–954, खाता नं0–51, खेसरा नं0–197, रकवा–1.57 एकड़ भूमि अंचल पदाधिकारी, मनिहारी के गैर कटाव पीड़ितों के नाम पर नामांतरण कर दिया है, यदि हॉ तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	समाहर्त्ता, कटिहार के पत्रांक–415 दिनांक–04.03.2020 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है:– कटिहार जिला अन्तर्गत अंचल–मनिहारी में मौजा–बोगलागढ़ के महानन्दा नदी से कटाव पीड़ित परिवारों को बसाने के लिए भू–अर्जन वाद सं0–19/1976 के तहत मौज–बहादुरपुर, थाना नं0–354, खाता सं0–51, खेसरा सं0–197 से रकवा–12 डी0 भूमि का अंर्जन किया गया था। उक्त अर्जित भूमि को महानन्दा नदी से कटाव पीड़ित 03 (तीन) परिवारों के बीच वाद संख्या–08/2004–05 के द्वारा पर्चा निर्गत कर जमाबन्दी कायम किया गया है।

बिहार विधान सभा में श्री सरोज यादव, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–रा०–45 का उत्तर

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आरा अंचल में खाता नं०–198, मौजा पकड़ी, थाना नं० –236 का भू–माफियों द्वारा फर्जी रूप से कागजात बनाकर जमीन कब्जा करते हुए मकान बना दिया गया है, यदि हाँ तो सरकार जाँच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के साथ उक्त जमीन को कब तक कब्जा से मुक्त कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?		उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि समाहर्त्ता, भोजपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा अंचल के मौजा–पकड़ी, खाता नं०–198, खेसरा नं०–356, 357, 358, 359, 360, 361 कुल रकबा–20.65 डी० जमीन रैयती है जिसकी जमाबन्दी मिस्टु इउरिक जौन सोलेनो साहेब वो मिस्टु आईनेश शोलनो कैगोरकन साहिबा व मिस्टु आरनेस्ट बेसील सोलेनो साहेब व मिशेज मेबलऐबल लेलिका शरर्नी साहिबा व वगैरह के नाम से दर्ज है।

‹

बिहार विधान सभा के आगामी अधिवेशन में दिनांक–05.03.2020 के लिए श्री मनोहर प्रसाद सिंह, सदस्य बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0–रा0–12 :–

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि	श्री रामनारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या–15 शिम्भूडीह के इन्द्रजीत पासवान एवं अन्य 1200 लोगों को लाल कार्ड का पर्चा वर्ष 2005 में दिया गया है, लेकिन वासगीत जमीन पर उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है, जबकि राजस्व वसूला जा रहा है, यदि हाँ तो सरकार उन पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, कटिहार से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या–15 शिम्भूडीह के इन्द्रजीत पासवान एवं अन्य 1200 लोगों को मौजा–कमालपुर में बन्दोबस्ती पर्चा मिला था, जिसमें से कुल 766 पर्चाधारियों के विरूद्ध सम्बन्धित भू–धारियों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–11339/2004 वाद दायर किया गया। उक्त वाद की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–05.02.2015 को सुनवाई करते हुए इस मामले को बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना को स्थानांतरित कर दिया गया है। सम्प्रति यह मामला न्यायाधिकरण में विचाराधीन है। न्यायाधिकरण द्वारा मामले के निष्पादन के पश्चात् ही आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। शेष पर्चाधारियों का भूमि पर दखल–कब्जा है।

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–34 के संबंध में।

	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
	प्रश्न		उत्तर
(1)	क्या यह बात सही है कि सिवान जिला में सिर्फ दो अमीन ही कार्यरत हैं और इन्हीं दो अमीनों से जिला के सभी अंचल कार्यालयों में काम होता है, जिससे भूमि संबंधी कार्य में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हॉ तो सरकार पंचायत स्तर पर कबतक अमीन बहाल करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?	(1)	खण्ड–'1'–उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। समाहर्त्ता, सीवान के प्रतिवेदनानुसार सीवान जिला में अमीन के स्वीकृत बल के विरूद्ध एक नियमित अमीन तथा 03 अमीन संविदा पर चकबन्दी से प्रतिनियुक्त है, जिनके द्वारा नापी का कार्य निष्पादित किया जाता है। राज्य के जिलों में राजस्व संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक 05 पंचायतो पर एक अंचल अमीन का पद स्वीकृत की गयी है। अमीन के कुल स्वीकृत पद–1881 के विरूद्ध पद रिक्त रहने के कारण अमीन के कुल–1767 रिक्त पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक–420 (4) दिनांक–14. 11.2019 द्वारा अधियाचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद को भेजी गयी है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा कुल–1767 पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत मुख्य परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत अनुशंसा सूची प्राप्त होते ही अमीन के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की कार्रवाई कर ली जायेगी।

○ माननीय सदस्य सैयद अबु दौजाना, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–22 के संबंध में।

	क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री राम नारायण मंडल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।
	प्रश्न		उत्तर
(1)	क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के सुरसंड प्रखण्ड अन्तर्गत रघाउर, भिट्ठा, जवाही, बघाड़ी, पठनपुरा, कोरियाही, अमाना एवं बघाड़ी 7 राजस्व ग्राम है,	(1)	खण्ड–'1'–उत्तर स्वीकारात्मक है।
(2)	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के तहत 15 पंचायत है, जिसमें मात्र 1 राजस्व कर्मचारी कार्यरत है, जिससे कार्यदाब में ग्रामीणों के राजस्व कार्य में विलम्ब हो रहा है,	(2)	खण्ड–'2'–उत्तर–आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तु स्थिति यह है कि समाहर्त्ता, सीतामढ़ी के प्रतिवेदनानुसार सुरसंड प्रखण्ड में वर्त्तमान में दो राजस्व कर्मचारी पदस्थापित है। उक्त राजस्व कर्मचारी द्वारा सुरसंड प्रखण्ड में बिना किसी बाधा के कार्यों का निष्पादित किया जा रहा है।
(3)	यदि हाँ तो सरकार प्रखण्ड में रिक्ति पदों के अनुरूप कबतक राजस्व कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त करना चाहती है, नही तो क्यों ?	(3)	खण्ड–'3'–उत्तर राजस्व कर्मचारी के कुल–4353 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा माह–दिसम्बर, 2018 में उक्त प्रयोजनार्थ प्रारंभिक स्तर की परीक्षा ली गयी, जिसका परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा अयोजन करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अनुशंसा प्राप्त होते ही राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति कर ली जायेगी।